न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–102/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्री मुकेश पुत्र चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरुद्व

1. धन्नालाल पुत्र चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. धापूबाई पत्नी चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. प्रकाश पुत्र चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. मन्जूबाई पुत्री चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. रमेश पुत्र चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. लालचन्द पुत्र चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. संतोषबाई पुत्री चतरभुज, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. सुरेश पुत्र मोडुलाल जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. मांगीलाल पुत्र भुवाना, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. अमरलाल पुत्र भुवाना, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :– **श्री जितेन्द्र कुमार राठौर**

अप्रार्थी की ओर से :– **अप्रार्थी सं. 1,2,4,7,5,8,9,10 एकतरफा**

अप्रार्थी सं. 11 पैरोकार सरकार

अप्रार्थी सं. 6 फौत

दिनांकः– 13.04.2026

–ःआदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 286 खसरा संख्या 373, कुल किता 01, रकबा 0.0300 है0, भूमि जो प्रार्थी के 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 255, खसरा संख्या 371, 372, 374, 375, 407, 844, 845 , कुल किता 07 कुल रकबा 5.3700 है0 भूमि जो प्रार्थी के नाम 9/16 खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं ।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खाता संख्या 286 खसरा संख्या 373, खाता संख्या 255, खसरा संख्या 371, 372, 374, 375, 407, 844, 845, के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेनखेड़ा प०ह० रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 286 खसरा संख्या 373, कुल किता 01, रकबा 0.0300 है०, भूमि जो प्रार्थी के 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम रेनखेड़ा प०ह० रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 255, खसरा संख्या 371, 372, 374, 375, 407, 844, 845 , कुल किता 07 कुल रकबा 5.3700 है० भूमि जो प्रार्थी के नाम 9/16 खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़